# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 10.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0 | झारखण्ड राज्य में एक मात्र राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बी0आई0टी0, सिन्दरी, धनबाद में संचालित है। वर्त्तमान में राज्य में पी0पी0पी0 मोड पर तीन अभियंत्रण महाविद्यालय एवं आठ पोलिटेक्नीक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थानों में AICTE के मानक एवं सरकार के साथ हुए MOU के प्रावधानों के विपरीत शैक्षणिक एवं छात्रावास शुल्क छात्रों से लिए जा रहे है। Free Seat के विरूद्ध भी अधिक राशि ली जा रही हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी कठिनाई होती है। निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-486, दिनांक- 30.07.2020 के अनुसार उक्त संस्थानों नें कार्यरत सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक आदि को क्रमशः 2.40 लाख रूपये एवं 1.93 लाख रूपये प्रतिवर्ष मानदेय/वेतन दिया जाता है जो सभी मानको के प्रतिकूल है। साथ ही प्राध्यापकों की नियुक्ति में AICTE के प्रावधानों का अनुशरण नहीं किया जाता है। प्राध्यापकों को कम वेतन दिये जाने के कारण एक ओर छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है, वही दूसरी ओर सभी | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | मापदण्डों के विपरीत अत्यधिक शिक्षण शुल्क एवं छात्रवास शुल्क देने को बाध्य है।<br>अतः राज्यहित में वर्णित मामले के समाधान हेतु समुचित जाँच कराने के लिए सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | |
| 02- | श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 | गोड्डा जिला सहित पूरे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल 2,64,25,385 को आच्छादित किया जाना है। परन्तु अभी तक 2,61,01,090 लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है। वर्त्तमान समय में राशन कार्ड बनवाने हेतु पूरे राज्य में कुल 20,56,621 आवेदन जमा है। परन्तु आवेदको के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं जिसके कारण राज्य की बड़ी आबादी को वर्णित योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।<br>अतएव राज्य सरकार 20,56,621 आवेदनों के आलोक में केन्द्र सरकार से सभी आवेदको को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराया जा रहा है। | खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले |
| 03- | श्री राज सिन्हा स0वि0स0 | झारखण्ड राज्य में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा (T.G.T- 2016) की परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा दी गई। विज्ञापन के अनुसार आवेदको के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्णता एवं न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत निर्धारित था। इस आलोक में जिन्हें किसी भी विषय में प्राप्तांक 45 प्रतिशत था वे आवेदक परीक्षा में शामिल हुए और वे आयोग द्वारा सफल घोषित होकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित भी हुए। उनकी नियुक्ति भी हुई और वे अभी विभिन्न स्कूल में कार्यरत है, | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता |

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | लेकिन केवल धनबाद जिला के सफल एवं अनुशंसित शिक्षकों का योगदान संबंधित पदाधिकारी द्वारा नहीं लिया जा रहा है। उन्हें इस आधार पर नियुक्त करने से रोका जा रहा है कि वे संबंधित विषय में प्राप्त स्नातक प्रतिष्ठा नहीं है। विज्ञापन की शर्त्त में स्नातक में 45 प्रतिशत अंक से उत्तीर्णता ही अनिवार्य था। इसी आधार पर चयनित छात्र राज्य के विभिन्न जिलों में नियुक्त हो गये हैं और यहाँ तक कि धनबाद में कई चयनित शिक्षक कार्य कर रहे हैं किन्तु सिर्फ-17 अनुशंसित सफल उम्मीदवार का योगदान स्वीकार नहीं किया जा रहा है।<br>अतः मैं राज्यहित में न्यायहित में और चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवारों के हित में धनबाद जिला के 17 लम्बित मामलों में शीघ्र योगदान की स्वीकृति हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | |
| 04- | श्री बंधु तिर्की स०वि०स० | झारखण्ड अधिविध परिषद्, राँची के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मदरसा एवं संस्कृत की सेवानिवृत्त एवं दिसम्बर, 2004 से पूर्व बहाल हुई लाभान्वित सेवानिवृत्त शिक्षकों की भेजी गयी सूची के अनुसार 646 है। झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0-2020, दिनांक- 24.10.2014 के द्वारा 186 मदरसो एवं 12 संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को तत्कालीन सरकार ने पेंशन/उपादान की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी थी। परन्तु झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0- 1773, दिनांक- 21.06.2018 के द्वारा संकल्प सं0- 2020, दिनांक- 24.10.2014 को निरस्त कर मदरसा एवं संस्कृत कर्मियों को पेंशन/उपादान की सुविधा से वंचित कर दिया, जबकि भारत के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि में ये सुविधा प्राप्त है। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अतः सरकार के संकल्प सं0- 1773, दिनांक- 21.06.2018 को निरस्त कर संकल्प सं0-2020, दिनांक- 24.10.2014 को बहाल करते हुए मदरसा एवं संस्कृत कर्मियों को अल्पसंख्यक विद्यालयों की भाँति पेंशन/उपादान की सुविधा प्रदान करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। | |
| 05- | श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 | संयुक्त बिहार के समय राँची जिला स्थित हटिया क्षेत्र में सन् 1962 में HEC Ltd की स्थापना की गई। इस क्रम में सन् 1955-61 के दौरान 13 ग्रामों के रैयतों की पूर्ण रूप से एवं 22 ग्रामों के रैयतों की पूरी भूमि ली गई लेकिन ग्राम यथावत रही। अधिग्रहण में अनियमितताये बरती गयी। नौकरी, रोजगार, पुर्नवास पुर्णस्थापना में कोताही बरती गई। जरूरत से कई गुणा ज्यादा भूमि अर्जित कर ली गई जबकि यह पूरा क्षेत्र संविधान की 5th Schedule तथा CNTA 1908 में संसीमित है।<br>आज फर्जी deed of Conveyavce के सहारे HEC अधिगृहित भूमि को करोड़ों रूपये एकड़ में Lease Sub lease कर रही है जिससे Schedule Area की Concept व काश्तकारी अधिनियम की प्रासंगिकता खतरे में है। HEC की पक्ष में अधिग्रहण के 40 वर्षो के बाद भी Deed of Coneryarece किस नियम के तहत् हुआ है।<br>HEC की deed of Conveyace की Legal Valitity की जाँच करना जरूरी है तथा आदिवासी बहुल इन ग्रामों के भूमि की प्रकृति कैसे बदली गई इसपर भी गौर करना आवश्यक प्रतीत होता है। | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अतः HEC विस्थापितों की भूमि को Revivel के नाम पर जिस प्रकार से नियम विरूद्ध लूटी गई व लुटी जा रही है कि जाँच कर राज्य के व्यापक हितों विस्थापित रैयतों की अस्तित्व रक्षार्थ कदम उठाने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ। | |

राँची,
दिनांक- 10 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-03/2021-1172/वि० स०, राँची, दिनांक- 09/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-03/2021-1172/वि० स०, राँची, दिनांक- 09/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

09/03/2021